

संख्या-07/एक-10-2026-12(34)/2003 टीसी-1

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अम्बेडकर नगर, वुलंदशहर, गोंडा, हाथरस, जालौन, कानपुर देहात, कौशांबी, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, शामली, कन्नौज, अमेठी, आगरा, औरैया, कानपुर नगर, कासगंज, गाजीपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झाँसी, देवरिया, पीलीभीत, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, वस्ती, वहराड़, बाँदा, बाराबंकी, महाराजगंज, महोबा, रामपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, हमीरपुर, हरदोई एवं हापुड़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14-01-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाइडलाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतुकम्बल क्रय के लिये रु0 11,67,95,216/- (रुपये ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख पनचानबे हजार दो सौ सोलह मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्वन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद	आवंटित धनराशि (रु०)
1	2	3
1	अम्बेडकर नगर	1330079
2	वुलंदशहर	1177677
3	गोंडा	3565825

4	हाथरस	548488
5	जालौन	2718985
6	कानपुर देहात	999986
7	कौशांबी	2759320
8	मैनपुरी	1402050
9	मेरठ	994112
10	मुरादाबाद	3529366
11	शामली	499926
12	कन्नौज	17176
13	अमेठी	3897345
14	आगरा	2489990
15	औरैया	692153
16	कानपुर नगर	21462
17	कासगंज	125296
18	गाजीपुर	665310
19	गोरखपुर	23055712
20	चित्रकूट	5690000
21	झाँसी	3520030
22	देवरिया	5569291
23	पीलीभीत	834623
24	प्रयागराज	39982
25	फर्रुखाबाद	321417
26	फिरोजाबाद	5456946
27	बस्ती	182350
28	बहराइच	552345
29	बाँदा	5954936
30	वाराणसी	334016
31	महाराजगंज	3432621
32	महोबा	4071469
33	रामपुर	762352

34	लखीमपुर खीरी	5862998
35	शाहजहाँपुर	376567
36	श्रावस्ती	7905633
37	सिद्धार्थ नगर	451739
38	हमीरपुर	3812254
39	हरदोई	8579366
40	हापुड	2594023
	योग	11,67,95,216/-
(रूपये ग्यारह करोड़ सडसठ लाख पनचानवे हजार दो सौ सोलह मात्र)		

नियम एवं शर्तें

- (1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1031/एक10-2025--2003/(34)12टीसी1- , दिनांक 01.11.2025 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाये और यदि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापवाही बरती जाती है ,तो इसके लिए जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (2) विगत 03 वर्षों में कम्बल क्रय हेतु व्यय किये गये औसत धनराशि से अधिक धनराशि का कम्बल क्रय न किया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में ही अतिरिक्त कम्बल क्रयकी मांग रहत आयुक्त, उ०प्र० के माध्यम से ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त कम्बलों का क्रय धनराशि निर्गत होने के पूर्व न किया जाय।
- (3) आपूर्तिकर्ता संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।
- (4) उक्त धनराशि का व्यय एम०एच०ए० के पत्र सं०-33-03/2020-एन०डी०एम०-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मर्दों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।
- (6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक वच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरुष/महिला, निराश्रित एवं असहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि

का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(8) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हो।

(12) कम्बलों का वितरण की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5- भाग 1- के प्रस्तर 369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05--स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800--अन्य व्यय 06--स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 08--शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42--अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
ANIL KUMAR
(Date: 14/03/2026)
14:09:40
विशेष सचिव।

संख्या-07(1)/एक-10-2026-12(34)/03 टीसी-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, 30प्र०।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र०।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव 30प्र०।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र० लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-16/01/2026

प्रेषण संख्या:- 007
आवंटन आदेश संख्या:- 001-007
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	994112 3644112	994112 3644112
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1177677 5027677	1177677 5027677
3	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2489990 13185990	2489990 13185990
4	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1402050 4702050	1402050 4702050
5	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3529366 6729366	3529366 6729366
6	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	376567 8070567	376567 8070567
7	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	834623 5454623	834623 5454623
8	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	762352 6072352	762352 6072352
9	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	321417 3077417	321417 3077417
10	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	21462 4320462	21462 4320462
11	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	39982 12468982	39982 12468982
12	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3520030 9061030	3520030 9061030
13	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2718985 5468985	2718985 5468985
14	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3812254 6380254	3812254 6380254
15	बाँदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5954936 10064936	5954936 10064936
16	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	665310 8785310	665310 8785310
17	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	23055712 33930712	23055712 33930712
18	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	182350 4826350	182350 4826350
19	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5569291 12470291	5569291 12470291
20	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	8579366 17607366	8579366 17607366
21	बखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5862998 14837998	5862998 14837998
22	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3565825 5765825	3565825 5765825

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
23	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	552345 8332345	552345 8332345
24	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	334016 6040016	334016 6040016
25	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	999986 4299986	999986 4299986
26	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	451739 6190739	451739 6190739
27	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5456946 12064946	5456946 12064946
28	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	3432621 9390621	3432621 9390621
29	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	4071469 6099469	4071469 6099469
30	अम्बेडकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	1330079 4080079	1330079 4080079
31	हाथरस-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	548488 2748488	548488 2748488
32	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	692153 3801153	692153 3801153
33	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2759320 4409320	2759320 4409320
34	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	17176 2217176	17176 2217176
35	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	7905633 10451633	7905633 10451633
36	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5690000 8014000	5690000 8014000
37	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	125296 3356296	125296 3356296
38	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	3897345 9565345	3897345 9565345
39	हापुड़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2594023 5634023	2594023 5634023
40	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	499926 2149926	499926 2149926
	योग	वर्तमान प्रणामी	116795216 310798216	116795216 310798216

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ सरसठ लाख पंचानवे हजार दो सौ सोलह
महायोग- (प्रणामी आवंटन):- रूपया इकत्तीस करोड़ सात लाख अठानवे हजार दो सौ सोलह

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।